निगरानी 858-III-15

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प भोपाल म0प्र0

निगरानी कमांक...../14–15

श्रीमति पार्वतीबाई पत्नि रमेश आयु लगभग 40 वर्ष
निवासी व कृषक ग्राम मैनीखेडी हाल निवासी
ग्राम बकतल तहसील व जिला सीहोर म0प्र0।.....निगरानीकर्ता

विरूद्ध

श्रीमति अंतरबाई पत्नि किशनलाल वयस्क
कृषक ग्राम मैनीखेडी हाल निवासी ग्राम बकतल
तहसील व जिला सीहोर म0प्र0।.....रेस्पॉण्डेन्ट

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 भू राजस्व संहिता विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 27.03.2015 पारित द्वारा तहसीलदार महोदय सीहोर प्रकरण कमांक 9/अ70/14–15 अंतरबाई विरूद्ध पार्वतबाई।

श्रीमान जी,

निगरानीकर्ता माननीय तहसीलदार महोदय सीहोर के आदेश से परिवेदित एवं दुखी होकर निम्नलिखित तथ्यों एवं विधिक आधारो पर निगरानी प्रस्तुत करता है :–

–: तथ्य :–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि तहसीलदार महोदय सीहोर के न्यायालय में विपक्षी ने धारा 250 भूराजस्व संहिता का आवेदन पत्र इस आधार पर प्रस्तुत किया कि उसके द्वारा उसके स्वत्व एवं आधिपत्य की भूमि का सीमांकन कराया था और सीमांकन कराने पर उसे यह पता चला कि निगरानीकर्ता का कुछ भाग पर कब्जा है इस कारण से उसे निगरानीकर्ता से कब्जा दिलाये जाने के साथ ही 10000/– रूपये प्रतिवर्ष की दर से क्षतिपूर्ति की राशि भी दिलाई जावे। अनावेदक /निगरानीकर्ता को सूचना पत्र जारी होने पर जब वह माननीय न्यायालय में उपस्थित हुई तो उसके द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष इस आशय का एक आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 32 भूराजस्व संहिता का प्रस्तुत किया जिस वादग्रस्त भूमि के संबधं में रेस्पॉण्डेन्ट द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 858–तीन/2015 जिला–सीहोर

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04–1–16	आवेदिका के अभिभाषक श्री नरेन्द्र सिंह ठाकुर उपस्थित। अनावेदिका के अभिभाषक श्री बी0एस0 यादव उपस्थित। 2/ आवेदिका के अभिभाषक द्वारा तहसीलदार, सीहोर के प्र0क्र0 09/अ–70/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 27.03.2015 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की है । 3/ उभयपक्ष अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किये गये आवेदिका के अधिवक्ता ने अपने तर्क में बताया कि तहसील न्यायालय ने संहिता की धारा 32 के आवेदन–पत्र के साथ वादग्रस्त भूमि पट्टे की भूमि है, ऐसे दस्तावेज का अवलोकन किये बिना ही " प्रकरण में अनावेदक का धारा 32 का आवेदन पत्र निराकृत किया जाता है । प्रकरण में आवेदिका का आवेदन पत्र प्रचलनशीलता हेतु उपयुक्त है" लिखते हुये प्रकरण साक्ष्य एवं जवाब हेतु नियत कर दिया गया । विचारण न्यायालय ने आवेदन पत्र वर्णित अभिवचनों पर किसी भी प्रकार का कोई निष्कर्ष ना देते हुये बोलता हुआ आदेश पारित नहीं किया है। संहिता की धारा 165(6) की उपधारा 1 में उल्लेखित किया है कि राज्य सरकार ने	

वह भूमि जो आदि जनजाति या किसी ऐसी जनजाति को भूमिस्वामी अधिकारी दिये गये तो ऐसी भूमि को ना तो अंतरित किया जा सकेगा और न ही भूमि अंतरणीय होगी, और ऐसी भूमि को अंतरण करने के लिये कलेक्टर की अनुमति लेना आवश्यक होगी । यदि ऐसी अनुमति प्राप्त नहीं की गई है तो वह व्यक्ति भूमि का भूमिस्वामी नहीं हो सकता । फिर भी ऐसी महत्वपूर्ण विचारणीय बिन्दु पर अधीनस्थ न्यायालय ने साक्ष्य एवं पटवारी प्रतिवेदन ना बुलाते हुये, केवल आवेदन पत्र प्रचलनशील है, लिखते हुये जो आदेश पारित किया है, वह त्रुटिपूर्ण है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि पीठासीन अधिकारी का यह कर्तव्य है कि कोई भी पीठासीन अधिकारी जो भी आदेश पारित करें, वह भू–राजस्व संहिता में दिये गये मापदण्डों के अनुसार ही आदेश किया जाना होता है, परन्तु इस प्रकरण में तहसीलदार द्वारा विस्तृत अथवा ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया है, जिससे यह स्पष्ट पता चले कि तहसीलदार द्वारा किन कारणों को दर्शाते हुये आवेदिका का आवेदन–पत्र निरस्त कर दिया है। इस कारण से पारित किया गया आदेश निरस्ती योग्य है। अंत में आवेदिका के अधिवक्ता द्वारा निगरानी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया ।

4/ अनावेदिका के अधिवक्ता द्वारा प्रतिउत्तर में लिखित तर्क प्रस्तुत कर बताया कि अनावेदिका ने अपने स्वत्व, स्वामित्व व आधिपत्य की कृषि भूमि खसरा क्रमांक 7/4 रकबा 1.273 है0 लगभग 3.15 एकड़ लगान 9.37 रुपये पटवारी हल्का नं0 30, राजस्व निरीक्षक मण्डल 01, तहसील व जिला–सीहोर म0प्र0 का सीमांकन आवेदन 22.05.2014 तहसीलदार के समक्ष पेश किया

था। उक्त भूमि देवा आत्मज श्री कनीराम को दिनांक 31.12.1981 में पट्टे पर दी थी। देवा की मृत्यु पश्चात् उसके पुत्र भारत के नाम पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई थी। उक्त भूमि भारत आत्मज देवा ने श्री महेश कुमार राजपूत आत्मज श्री दौलत सिंह राजपूत को विक्रय कर दी और अनावेदिका ने श्री महेश कुमार राजपूत आत्मज श्री दौलत सिंह राजपूत से दिनांक 18.05.1995 को क्रय की है। उक्त भूमि का सीमांकन प्रकरण क्रमांक 137/अ–12/2013–14 के आदेश दिनांक 31.05.2014 के माध्यम से राजस्व निरीक्षक एवं हल्का पटवारी द्वारा कृषक मेढ़ पड़ोसियें को सूचना देकर दिनांक 15.06.2014 को मेढ़ पड़ोसियों की उपस्थिति में सीमांकन किया, जिसका पंचनामा व फील्डबुक राजस्व निरीक्षक एवं हल्का पटवारी द्वारा पंचों की उपस्थिति में तैयार किया गया । उन्होंने लिखित तर्क में यह भी कहा कि अपील में अनावेदिका द्वारा संहिता की धारा 32 का आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसे अनुविभागीय अधिकारी ने स्वीकार कर दिनांक 12.12.2015 को आदेश पारित कर दिया। जिससे आवेदिका की अपील निरस्त हो गई। आवेदिका ने माननीय प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 सीहोर के समक्ष वाद वास्ते स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषाधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया था, साथ ही अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु एक आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 को प्रस्तुत किया था, जो दिनांक 18.09.15 को निरस्त कर दिया गया । अंत अनावेदिका के अधिवक्ता द्वारा निगरानी निरस्त किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश यथावत रखा जाने का निवेदन किया गया ।

5/ प्रकरण में प्रस्तुत अधनीस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया । अवलोकन किये जाने पर विदित होता है कि अनावेदिका द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष सीमांकन का आवेदन पत्र प्रस्तुत कर, अपनी भूमि का सीमांकन प्र0क्र0 137/अ–12/2013–14 के आदेश दिनांक 31.05.2014 के माध्यम से राजस्व निरीक्षक एवं हल्का पटवारी द्वारा कृषक मेढ़ पड़ोसियों को सूचना देकर, दिनांक 15.06.2014 को मेढ़ पड़ोसियों की उपस्थिति में सीमांकन करवाया, जिसका पंचनामा व फील्डबुक राजस्व निरीक्षक एवं हल्का पटवारी द्वारा पंचो की उपस्थिति में तैयार किया गया । अनावेदिका की भूमि की पश्चिम दिशा में आवेदिका पार्वती बाई का 0.90 डेसीमल पर अवैध कब्जा पाया गया, जिसका मौके पर पंचों व नक्शा फील्डबुक में दर्शाया गया । आवेदिका द्वारा अवैध कब्जा को हटाये जाने बावत अनावेदिका द्वारा संहिता की धारा 250 के अंतर्गत आवेदन पत्र तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। संहिता की धारा 250 के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र के विरूद्ध में आवेदिका द्वारा संहिता की धारा 32 के तहत आवेदन पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उक्त आवेदन पत्र के उत्तर में अनावेदिका द्वारा संहिता की धारा 32 का आवेदन–पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आवेदिका द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र प्रचलन योग्य नहीं है। अतः उक्त आवेदन निरस्त किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने उभयपक्ष के द्वारा संहिता की धारा 32 के आवेदन–पत्र का अवलोकन किया एवं विचारोपरांत आवेदिका के द्वारा प्रस्तुत धारा 32 का आवेदन पत्र निरस्त करते हुये,

अनावेदिका द्वारा संहिता की धारा 32 के आवेदन–पत्र का निराकरण किया । चूँकि अनावेदिका की भूमि की पश्चिम दिशा में आवेदिका पार्वती बाई का 0.90 डेसीमल पर अवैध कब्जा पाया गया, जिसका मौके पर पंचों व नक्शा फील्डबुक में दर्शाया गया । ऐसे में तहसीलदार, सीहोर द्वारा दिनांक 27.03.2015 को आदेश पारित कर आवेदिका के द्वारा प्रस्तुत धारा 32 का आवेदन पत्र अस्वीकार करने में कोई त्रुटि नहीं की है।

6/ अतएव उपरोक्त विवेचना के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सीहोर द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.03.15 न्यायासंगत व विधिनुकूल होने से यथावत रखा जाता है। फलतः आवेदिका के द्वारा प्रस्तुत निगरानी आधारहीन होने से खारिज की जाती है। आवेदिका अपने स्वत्व के विषय में सक्षम न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकार्ड हो । अभिलेख वापिस हो।

(एस0एस0 अली)
सदस्य